

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-81/2008)/अलेसे -III/ 2009-211 दिनांक :- 12/2/2015

आदेश

श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) कार्यालय कोषाधिकारी, बासवाड़ा के आवेदन पत्र तथा कोषाधिकारी, बांसवाड़ा द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 88 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.1(2)FD/Rules/2006Pt -1 जयपुर, दिनांक 07.08.2014 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

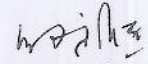
क्र.सं.	असाधारण अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	06.08.2012 से 01.11.2012 तक	88	पारिवारिक कारण एवं प्रतियोगी परीक्षा
	Total	88 दिवस	


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-81/2008)/अलेसे -III/ 2009-211 दिनांक :- 12/2/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कोषाधिकारी, बासवाड़ा (राजस्थान) को श्री महेन्द्र कुमार मीणा, क0 लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
2. श्री महेन्द्र कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, बासवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)